पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001
ई मेल : office.md@uppcl.org
कार्यालय : 0522 - 2288377

पत्रांकः 3308/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांकः 13, नवम्बर, 2025

विषयः– "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
[md@pvvnl.org / md@dvvnl.org / md@mvvnl.org / md@puvvnl.in / mdkesco@kesco.org.in]

समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल0एम0वी0–1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" लागू की रही है। पात्र उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना में पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत हैं–

प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
दिनांक 01.12.2025 से 31.12.2025 तक	दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक	दिनांक 01.02.2026 से 28.02.2026 तक

"बिजली बिल राहत योजना 2025–26" का सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हुए निम्न अनुरोध हैः–

1. उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये। इस हेतु न केवल प्रेस वार्ता/प्रेस नोट के माध्यम से जनसामान्य को अवगत कराया जाये, वरन् सोशल मीडिया, एफ0एम0 रेडियों इत्यादि का भी प्रयोग किया जाये साथ ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक गाँव में बिजली बिल राहत योजना हेतु मुनादी करायी जाये। जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके एवं वह इसका लाभ उठा सके। अपेक्षित है कि प्रत्येक मुख्य अभियन्ता (वितरण), वितरण क्षेत्र के स्तर पर इसका अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक ग्राम में मुनादी का कार्य अगले एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाये।
2. माननीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन को भी इस योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये।
3. वर्तमान "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" में पूर्व में आबद्ध कलेक्शन एजेन्सी हेतु प्रोत्साहन की विशेष व्यवस्था की गयी है, जिसे नेवर पेड उपभोक्ताओं एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर दिया जायेगा। अपेक्षित है कि समस्त कलेक्शन एजेन्सीज यथा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी के प्रतिनिधि, फिनटेक कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं

मीटर रीडर्स/बिलिंग ऐजेन्सी की बैठक आगामी दो से तीन दिवसों में बुलायी जाये एवं बिजली बिल राहत योजना में प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था से उन्हें भलीभाँति अवगत करा दिया जाये। साथ ही समस्त नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की सूची में उपलब्ध करा दी जाये।

अनुरोध है कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

13/11/18

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, समस्त विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

"बिजली बिल राहत योजना 2025–26"

विषय :–नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों में "राजस्व निर्धारण धनराशि" में छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

बिजली बिल राहत योजना 2025–26 के मुख्य बिन्दु :–

I. विद्युत बिलों में छूट

1. योजना का प्रारम्भ व पंजीकरण :–

(क) यह योजना दिनांक 01.12.2025 से लागू होगी। विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(ख) उपभोक्ता द्वारा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत् है –

प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
दिनांक 01.12.2025 से 31.12.2025 तक	दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक	दिनांक 01.02.2026 से 28.02.2026 तक

(ग) पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रूपये 2,000/– धनराशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा।

(घ) पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जायेगा :–

i. विकल्प–1 : एकमुश्त भुगतान
ii. विकल्प–2 : रू0 750 मासिक किश्त में भुगतान
iii. विकल्प–3 : रू0 500 मासिक किश्त में भुगतान

2. योजना में पात्रता :–

(क) योजना में निम्नलिखित श्रेणियों व भार के नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे –

i. एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – अधिकतम 02 किलोवाट तक
ii. एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) – 01 किलोवाट

(ख) उक्त श्रेणी व भार के ऐसे उपभोक्ता जिनके विरूद्ध आर0सी0 निर्गत हो, भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(ग) उक्त श्रेणी व भार के ऐसे उपभोक्ता जिनका संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित हो, भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(घ) नेवर पेड उपभोक्ताओं से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ताओं से है जिन्होंने कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न किया हो एवं संयोजन तिथि 31.03.2025 अथवा इससे पूर्व की हो।

(ङ) लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ताओं से है जिन्होंने विद्युत बिल के सापेक्ष अन्तिम भुगतान 31.03.2025 अथवा इससे पूर्व में किया हो।

(च) इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण वाले उपभोक्ता भी पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि योजना का लाभ लेने के पश्चात व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

3. विद्युत बिलों में छूट व विद्युत बिल का भुगतान :–

पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा चुने गये विकल्प व पंजीकरण के चरण के अनुसार विद्युत बिल में छूट का विवरण निम्नवत् है–

(क) **विकल्प–1 : एकमुश्त भुगतान करने हेतु पंजीकरण कराने पर –**

i. **विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट** – उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि तक के विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100% छूट दी जायेगी।

ii. **अतिरिक्त छूट** – पंजीकृत उपभोक्ता को पंजीकरण कराने के चरण के अनुसार अतिरिक्त छूट दी जायेगी। अतिरिक्त छूट (प्रतिशत में) निम्न तालिका अनुसार है –

क्र0सं0	पंजीकरण कराने का चरण	दिनांक 31.03.2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाये का प्रतिशत
1	2	3
1	प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर	25%
2	द्वितीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर	20%
3	तृतीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर	15%

iii. प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता यदि पंजीकरण के 30 दिवसों के उपरांत पूर्ण भुगतान करता है, तो उसी चरण की अतिरिक्त छूट मिलेगी जिसकी अवधि में उपभोक्ता पूर्ण भुगतान करेगा।

iv. तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता को पंजीकरण के उपरांत 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करना होगा।

v. पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्ण भुगतान करने पर ही उक्त छूट का लाभ दिया जायेगा।

vi. प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर हो जायेगा।

vii. तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण के उपरांत 30 दिवसों में बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर हो जायेगा।

viii. डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा उपभोक्ता को दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

उदाहरण 01 :– यदि उपभोक्ता प्रथम चरण की अवधि में पंजीकरण कराता है और पंजीकरण के 30 दिवसों के अंदर पूर्ण भुगतान कर देता है, तो उसे दिनांक 31.03.2025 तक के मूल बकाये पर 25% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर उपभोक्ता 30 दिवसों के बाद, द्वितीय चरण की अवधि में पूर्ण भुगतान करता है, तो उसे 20% की ही छूट मिलेगी। तृतीय चरण की अवधि में पूर्ण भुगतान करने पर उपभोक्ता को 15% की छूट ही दी जाएगी। तृतीय चरण की अवधि की समाप्ति तक पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर हो जायेगा। डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा उपभोक्ता को दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

उदाहरण 02 :– यदि उपभोक्ता द्वितीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराता है और पंजीकरण के 30 दिवसों के अंदर पूर्ण भुगतान कर देता है, तो उसे दिनांक 31.03.2025 तक के मूल बकाये पर 20% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर उपभोक्ता 30 दिवसों के बाद, तृतीय चरण की अवधि में पूर्ण भुगतान करता है, तो उसे 15% की ही छूट मिलेगी। तृतीय चरण की अवधि की समाप्ति तक पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर हो जायेगा। डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा उपभोक्ता को दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

उदाहरण 03 :– यदि उपभोक्ता तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराता है और पंजीकरण के 30 दिवसों के अंदर पूर्ण भुगतान कर देता है, तो उसे दिनांक 31.03.2025 तक के मूल बकाये पर 15% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पंजीकरण तिथि से 30 दिवसों के अंदर पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर हो जायेगा। डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा उपभोक्ता को दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

(ख) **विकल्प–2 : रू0 750 मासिक किश्त तथा वर्तमान मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर –**

i. **विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट** – उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि तक के विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100% छूट दी जायेगी।

ii. **अतिरिक्त छूट** – पंजीकृत उपभोक्ता को दिनांक 31.03.2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाये का 10% की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

iii. प्रत्येक माह 25 तारीख तक पंजीकृत उपभोक्ता को वर्तमान विद्युत बिल एवं किश्त की धनराशि रू0 750 का भुगतान करना होगा। यदि 25 तारीख तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता को बकाये के सापेक्ष रू0 750 के साथ–साथ प्रोविजनल बिल (निम्न तालिका के अनुसार) का भुगतान 25 तारीख तक करना होगा। मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि का आगणन उपभोक्ताओं की श्रेणी व भार की औसत मासिक खपत के आधार पर किया गया है जोकि निम्नवत् है –

क्र0सं0	**उपभोक्ता की श्रेणी व भार**	**ग्रामीण/ शहरी**	**मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि (रू0 में)**
1	2	3	4
1	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	300
2		शहरी	400
3	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 02 किलोवाट	ग्रामीण	600
4		शहरी	800
5	एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	600
6		शहरी	900

बिल प्राप्त न होने की स्थिति में, उपरोक्तानुसार प्रोविजनल बिल के साथ मासिक किश्त का पूर्ण भुगतान करने पर यह मान लिया जायेगा कि मासिक विद्युत बिल व मासिक किश्त का भुगतान हो गया है। प्रोविजनल बिल एवं मासिक किश्त में से किसी एक धनराशि का भी बकाया रहने पर डिफाल्ट माना जायेगा। प्रोविजनल बिल के सापेक्ष किये गये भुगतान का समायोजन वास्तविक खपत के आधार पर अगला विद्युत बिल बनाते समय किया जायेगा।

विद्युत बिल की सूचना उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0/व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से भी भेजी जायेगी।

iv. उपरोक्तानुसार यदि पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा माह की 25 तारीख तक मासिक विद्युत बिल एवं मासिक किश्त की धनराशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे डिफाल्ट माना जायेगा। अर्थात नियत तिथि तक मासिक विद्युत बिल एवं मासिक किश्त में से किसी भी एक धनराशि का बकाया रहने पर डिफाल्ट माना जायेगा।

v. पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा एक डिफाल्ट करने पर रू0 50, लगातार दो माह लगातार डिफाल्ट करने पर कुल रू0 150 एवं लगातार तीन माह लगातार डिफाल्ट करने पर कुल रू0 300 डिफाल्ट धनराशि के रूप में उपभोक्ता द्वारा देय होगी। किश्तों व मासिक बिलों के बकाया का डिफाल्ट धनराशि के साथ भुगतान करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर नहीं रहेगा। लगातार चार माह तक डिफाल्ट करने पर उपभोक्ता पूर्णतः डिफाल्टर हो जायेगा।

vi. पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्ण भुगतान करने पर ही योजना में छूट का लाभ मिलेगा।

vii. पूर्णतः डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा उपभोक्ता को दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

(ग) **विकल्प–3 : रू0 500 मासिक किश्त तथा वर्तमान मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर –**

i. **विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट** – उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि तक के विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100% छूट दी जायेगी।

ii. **अतिरिक्त छूट** – पंजीकृत उपभोक्ता को दिनांक 31.03.2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाये का 5% की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

iii. प्रत्येक माह 25 तारीख तक पंजीकृत उपभोक्ता को वर्तमान विद्युत बिल एवं किश्त की धनराशि रू0 500 का भुगतान करना होगा। यदि 25 तारीख तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता को बकाये के सापेक्ष रू0 500 के साथ–साथ प्रोविजनल बिल (निम्न तालिका के अनुसार) का भुगतान 25 तारीख तक करना होगा। मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि का आगणन उपभोक्ताओं की श्रेणी व भार की औसत मासिक खपत के आधार पर किया गया है जोकि निम्नवत् है –

क्र0सं0	उपभोक्ता की श्रेणी व भार	ग्रामीण/ शहरी	मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4
1	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	300
2		शहरी	400
3	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 02 किलोवाट	ग्रामीण	600
4		शहरी	800
5	एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	600
6		शहरी	900

बिल प्राप्त न होने की स्थिति में, उपरोक्तानुसार प्रोविजनल बिल के साथ मासिक किश्त का पूर्ण भुगतान करने पर यह मान लिया जायेगा कि मासिक विद्युत बिल व मासिक किश्त का भुगतान हो गया है। प्रोविजनल बिल एवं मासिक किश्त में से किसी एक धनराशि का भी बकाया रहने पर डिफाल्ट माना जायेगा। प्रोविजनल बिल के सापेक्ष किये गये भुगतान का समायोजन वास्तविक खपत के आधार पर अगला विद्युत बिल बनाते समय किया जायेगा।

विद्युत बिल की सूचना उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0, व्हाट्सअप मैसेज/पी0डी0एफ0 के माध्यम से भेजी जायेगी।

iv. उपरोक्तानुसार यदि पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा माह की 25 तारीख तक मासिक विद्युत बिल एवं मासिक किश्त की धनराशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे डिफाल्ट माना जायेगा। अर्थात नियत तिथि तक मासिक विद्युत बिल एवं मासिक किश्त में से किसी भी एक धनराशि का बकाया रहने पर डिफाल्ट माना जायेगा।

v. पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा एक डिफाल्ट करने पर रू0 50, लगातार दो माह लगातार डिफाल्ट करने पर कुल रू0 150 एवं लगातार तीन माह लगातार डिफाल्ट करने पर कुल रू0 300 डिफाल्ट धनराशि के रूप में उपभोक्ता द्वारा देय होगी। किश्तों व मासिक बिलों के बकाया का डिफाल्ट धनराशि के साथ भुगतान

करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर नहीं रहेगा। लगातार चार माह तक डिफाल्ट करने पर उपभोक्ता पूर्णतः डिफाल्टर हो जायेगा।

vi. पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्ण भुगतान करने पर ही योजना में छूट का लाभ मिलेगा।

vii. पूर्णतः डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा उपभोक्ता दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

4. योजना में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

(क) योजना के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा।

(ख) विभागीय खण्ड अथवा उपखण्ड कार्यालय अथवा कैश काउन्टर, UPPCL Consumer App, जनसेवा केन्द्र, फिनटेक प्रतिनिधि, मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) एवं विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे।

(ग) पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य है। ओ0टी0पी0 वैरीफिकेशन के बाद ही पंजीकरण कराया जायेगा, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से सम्पर्क किया जा सके। उपभोक्ता द्वारा व्हाट्सअप मोबाइल नम्बर भी दिया जा सकेगा। एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम दो पंजीकरण कराये जा सकेंगे।

(घ) पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी यथा पंजीकरण, बकाया किश्तों की जानकारी, भुगतान हेतु नियत तिथि की जानकारी, डिफाल्टर होने की जानकारी आदि एस0एम0एस0/व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी। यदि उपभोक्ता अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं देता है तो वह आवश्यक सूचनाओं से वंचित रहेगा।

(ङ) पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल के साथ मासिक किश्तों/शेष बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय/कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से किया जा सकेगा।

(च) उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org एवं UPPCL Consumer App पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कर पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल के साथ मासिक किश्तों/शेष बकाया धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा।

5. योजना के अन्य नियम :–

(क) **योजना की अवधि में बिल संशोधन :–**

i. योजना की अवधि में मात्र Over Bill Outlier एवं Under Bill Outlier उपभोक्ताओं के बिल संशोधित किये जायेंगे। अन्य पात्र उपभोक्ताओं का बिल संशोधन नहीं किया जायेगा।

ii. Over Bill Outlier उपभोक्ताओं के लिये छूट के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु देय धनराशि बिलिंग सिस्टम द्वारा स्वतः निर्धारित की जायेगी। (जैसा कि अग्रेतर भाग 05 (ख) में वर्णित है।)

iii. Under Bill Outlier उपभोक्ताओं के बिल संशोधन हेतु डिस्कॉम मुख्यालय पर निदेशक (वाणिज्य) डिस्काम के अधीन एक अस्थाई विशेष सेल गठित की जायेगी। स्थलीय जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेष सेल द्वारा बिल संशोधित किये जायेंगे। ये उपभोक्ता इस योजना में आच्छादित नहीं होंगे।

(ख) **Over Bill Outliers उपभोक्ता की परिभाषा व बिल संशोधन :–**

Over Bill Outliers उपभोक्ता की परिभाषा :–

i. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा बताया जाता है कि उनकी औसत खपत बहुत अधिक

प्राप्त हो रही है, जिसके कारण उनके विद्युत बिल अत्यधिक धनराशि के हैं। बिलिंग सिस्टम द्वारा इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल नॉरमेटिव धनराशि के आधार पर स्वतः संशोधित किये जायेंगे।

ii. एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) उपभोक्ताओं के लिये नॉरमेटिव खपत 144 यूनिट/किलोवाट/माह है।

iii. नॉरमेटिव खपत के आधार पर उपभोक्ता की श्रेणी व भार के अनुसार मासिक औसत विद्युत बिल धनराशि का निर्धारण किया गया है (तालिका–1)।

iv. संयोजन तिथि से पंजीकरण तिथि तक के मूल बकाये का मासिक औसत, उपभोक्ता की श्रेणी व भार के अनुसार निर्धारित धनराशि (तालिका–1) से अधिक होने पर उपभोक्ता को Over Bill Outliers कहा जायेगा।

v. Over Bill Outliers उपभोक्ताओं के लिये 144 यूनिट/किलोवाट/माह की नॉरमेटिव खपत के आधार पर आगणित मासिक विद्युत बिल धनराशि (Rounded Off) एवं एकमुश्त भुगतान करने हेतु पंजीकरण कराने पर मूल बकाये पर छूट के बाद मासिक औसत धनराशि निम्न तालिका (तालिका–1) के अनुसार है –

तालिका–1

क्र0सं0	उपभोक्ता की श्रेणी व भार	ग्रामीण/ शहरी	मासिक औसत धनराशि (Over Bill Outlier) (रू0 में) (नॉरमेटिव खपत के आधार पर)	एकमुश्त भुगतान करने हेतु पंजीकरण कराने पर दिनांक 31.03.2025 तक के मूल बकाये पर छूट के बाद मासिक औसत धनराशि		
				प्रथम चरण में 25% छूट के पश्चात	द्वितीय चरण में 20% छूट के पश्चात	तृतीय चरण में 15% छूट के पश्चात
1	2	3	4	5	6	7
1	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	650	488	520	553
2		शहरी	950	713	760	808
3	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 02 किलोवाट	ग्रामीण	1,500	1,125	1,200	1,275
4		शहरी	2,000	1,500	1,600	1,700
5	एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	1,000	750	800	850
6		शहरी	1,550	1,163	1,240	1,318

vi. प्रायः उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की जाती है कि उनका बिल अधिक धनराशि का आ रहा है एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भुगतान करने में असमर्थ है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है जिनका मासिक औसत बिल (मूल) नॉरमेटिव खपत से अधिक है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल की धनराशि जमा करने हेतु उपरोक्त तालिकानुसार एक मासिक औसत धनराशि निर्धारित की गयी है। इस आधार पर सिस्टम द्वारा उनका बिल अपने आप ही कम कर दिया जायेगा। यह बिल संशोधन इसी शर्त पर माना जायेगा कि वह उपभोक्ता इस योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान कर दे। यदि वह भुगतान पूर्ण नहीं करता है तो बिल संशोधन निरस्त माना जायेगा। इस प्रकार Over Bill Outliers उपभोक्ता का वर्तमान बकाया जितना ज्यादा होगा, उपभोक्ता को उतना ज्यादा फायदा होगा।

उदाहरण 1 :– माना कि **ग्रामीण क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 01 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2024 है एवं पंजीकरण की तिथि 01.12.2025 को मूल बकाया रू0 23,100 है। संयोजन की तिथि से पंजीकरण की तिथि तक कुल 22-माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत

रू0 1,050 (=23,100 / 22) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 650 प्रति माह) से अधिक है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Over Bill Outliers उपभोक्ता है।

इस उपभोक्ता की संयोजन तिथि से पंजीकरण तिथि तक की अवधि (22 माह) के लिए नॉरमेटिव धनराशि रू0 650 प्रति माह के हिसाब से कुल रू0 14,300 (=650 x 22) होगी। इस Over Bill Outliers उपभोक्ता का नॉरमेटिव आधारित बिल संशोधन करने पर उपभोक्ता को मूल बकाया में रू0 8,800 (=23,100 – 14,300) का फायदा होगा। इसके अतिरिक्त उसे 25% तक छूट का लाभ भी इस योजना की शर्तों के अनुसार मिलेगा।

उदाहरण 2 :– माना कि **शहरी क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 01 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2024 है एवं पंजीकरण की तिथि 01.12.2025 को मूल बकाया रू0 23,100 है। संयोजन की तिथि से पंजीकरण की तिथि तक कुल 22 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 1,050 (=23,100 / 22) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 950 प्रति माह) से अधिक है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Over Bill Outliers उपभोक्ता है।

इस उपभोक्ता की संयोजन तिथि से पंजीकरण तिथि तक की अवधि (22 माह) के लिए नॉरमेटिव धनराशि रू0 950 प्रति माह के हिसाब से कुल रू0 20,900 (=950 x 22) होगी। इस Over Bill Outliers उपभोक्ता का नॉरमेटिव आधारित बिल संशोधन करने पर उपभोक्ता को मूल बकाया में रू0 2,200 (=23,100 – 20,900) का फायदा होगा। इसके अतिरिक्त उसे 25% तक छूट का लाभ भी इस योजना की शर्तों के अनुसार मिलेगा।

उदाहरण 3 :– माना कि **ग्रामीण क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 02 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2023 है एवं पंजीकरण की तिथि 01.12.2025 को मूल बकाया रू0 85,000 है। संयोजन की तिथि से पंजीकरण की तिथि तक कुल 34 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 2,500 (=85,000 / 34) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 1,500 प्रति माह) से अधिक है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Over Bill Outliers उपभोक्ता है।

इस उपभोक्ता की संयोजन तिथि से पंजीकरण तिथि तक की अवधि (34 माह) के लिए नॉरमेटिव धनराशि रू0 1,500 प्रति माह के हिसाब से कुल रू0 51,000 (=1,500 x 34) होगी। इस Over Bill Outliers उपभोक्ता का नॉरमेटिव आधारित बिल संशोधन करने पर उपभोक्ता को मूल बकाया में रू0 34,000 (=85,000 – 51,000) का फायदा होगा। इसके अतिरिक्त उसे 25% तक छूट का लाभ भी इस योजना की शर्तों के अनुसार मिलेगा।

उदाहरण 4 :– माना कि **शहरी क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 02 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2023 है एवं पंजीकरण की तिथि 01.12.2025 को मूल बकाया रू0 2,04,000 है। संयोजन की तिथि से पंजीकरण की तिथि तक कुल 34 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 6,000 (=2,04,000 / 34) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 2,000 प्रति माह) से अधिक है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Over Bill Outliers उपभोक्ता है।

इस उपभोक्ता की संयोजन तिथि से पंजीकरण तिथि तक की अवधि (34 माह) के लिए नॉरमेटिव धनराशि रू0 2,000 प्रति माह के हिसाब से कुल रू0 68,000 (=2,000 x 34) होगी। इस Over Bill Outliers उपभोक्ता का नॉरमेटिव आधारित बिल संशोधन करने पर उपभोक्ता को मूल बकाया में रू0

1,36,000 (= 2,04,000 – 68,000) का फायदा होगा। इसके अतिरिक्त उसे 25% तक छूट का लाभ भी इस योजना की शर्तों के अनुसार मिलेगा।

उदाहरण 5 :– माना कि **ग्रामीण क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 02 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2023 है एवं पंजीकरण की तिथि 01.12.2025 को मूल बकाया रू0 34,000 है। संयोजन की तिथि से पंजीकरण की तिथि तक कुल 34 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 1,000 (=34,000 / 34) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 1,500 प्रति माह) से कम है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Over Bill Outliers उपभोक्ता **नहीं** है। Over Bill Outliers उपभोक्ता **नहीं होने** के कारण इस उपभोक्ता के मूल बकाये में बिलिंग सिस्टम द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

Over Bill Outlier उपभोक्ताओं के बिल संशोधन की प्रक्रिया –

vii. Over Bill Outlier उपभोक्ताओं की संयोजन तिथि से पंजीकरण तिथि तक की अवधि के लिए बिलिंग सिस्टम द्वारा नॉरमेटिव धनराशि आगणित की जाएगी। नॉरमेटिव धनराशि का आगणन Over Bill Outlier के लिए निर्धारित मासिक औसत धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

viii. उपरोक्तानुसार नॉरमेटिव धनराशि में दिनांक 31.03.2025 तक की बकाया राशि पर छूट देने पर जो शेष धनराशि बचेगी, उसका पूर्ण भुगतान पंजीकृत उपभोक्ता को करना होगा। उपभोक्ता द्वारा शेष धनराशि का पूर्ण भुगतान करने पर बिलिंग सिस्टम द्वारा पहले से अस्थायी रूप से अदेय की गई धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

यदि उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाता है, तो बिलिंग सिस्टम द्वारा अस्थायी रूप से अदेय की गयी धनराशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़ दिया जायेगा।

ix. यदि Over Bill Outlier उपभोक्ता का नॉरमेटिव के आधार पर बिल संशोधन होता है एवं उपभोक्ता विद्युत बिल में अतिरिक्त छूट प्राप्त करने हेतु पात्र है तो अतिरिक्त छूट दिनांक 31.03.2025 तक की नॉरमेटिव धनराशि पर दी जायेगी।

x. Over Bill Outlier उपभोक्ताओं द्वारा जल्दी पंजीकरण कराने पर ज्यादा लाभ होगा। सर्वाधिक लाभ एकमुश्त भुगतान हेतु प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर होगा।

उदाहरण :– माना कि **शहरी क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 01 किलोवाट भार** वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2024 है एवं पंजीकरण की तिथि 01.12.2025 को कुल बकाया 26,100 (मूल बकाया रू0 23,100 + 3,000) है। संयोजन की तिथि से पंजीकरण की तिथि तक कुल 22 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 1,050 (=23,100 / 22) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 950 प्रति माह) से अधिक है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Over Bill Outliers उपभोक्ता है।

इस उपभोक्ता की संयोजन तिथि से पंजीकरण तिथि तक की अवधि (22 माह) के लिए नॉरमेटिव धनराशि रू0 950 प्रति माह के हिसाब से कुल रू0 20,900 (=950 x 22) होगी। संयोजन तिथि से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि (14 माह) के लिए नॉरमेटिव धनराशि रू0 950 प्रति माह के हिसाब से कुल रू0 13,300 (=950 x 14) होगी।

प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर इस उपभोक्ता को रू0 3,325 (दिनांक 31.03.2025 तक मूल बकाया रू0 13,300 का 25%) की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को

रू0 17,575 (=20,900 – 3,325) का भुगतान 30 दिवसों में करने पर **कुल रू0 8,525** (=26,100 – 17,575) का लाभ होगा।

द्वितीय चरण में एकमुश्त भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर इस उपभोक्ता को रू0 2,660 (दिनांक 31.03.2025 तक मूल बकाया रू0 13,300 का 20%) की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को रू0 18,240 (=20,900 – 2,660) का भुगतान 30 दिवसों में करने पर **कुल रू0 7,860** (=26,100 – 18,240) का लाभ होगा।

तृतीय चरण में एकमुश्त भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर इस उपभोक्ता को रू0 1,995 (दिनांक 31. 03.2025 तक मूल बकाया रू0 13,300 का 15%) की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को रू0 18,905 (=20,900 – 1,995) का भुगतान 30 दिवसों में करने पर **कुल रू0 7,195** (=26,100 – 18,905) का लाभ होगा।

(ग) **Under Bill Outliers उपभोक्ता की परिभाषा व बिल संशोधन –**

Under Bill Outliers उपभोक्ता की परिभाषा –

i. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कतिपय उपभोक्ताओं की औसत खपत अत्यधिक कम प्राप्त हो रही है, जिसके कारण इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल अत्यधिक कम धनराशि के है। वास्तविक खपत व सही विद्युत बिल के लिए इन उपभोक्ताओं के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कराना आवश्यक है। साथ ही स्थलीय निरीक्षण में प्राप्त रीडिंग/खपत के आधार पर बिल संशोधन कराया जायेगा।

ii. एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) उपभोक्ताओं के लिये नॉरमेटिव खपत (144 यूनिट/किलोवाट/माह) है।

iii. ग्रामीण क्षेत्र के लिये नॉरमेटिव खपत (144 यूनिट/किलोवाट/माह) का 10 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के लिये नॉरमेटिव खपत (144 यूनिट/किलोवाट/माह) का 20 प्रतिशत खपत के आधार पर उपभोक्ता की श्रेणी व भार के अनुसार मासिक औसत विद्युत बिल धनराशि का निर्धारण किया गया है (तालिका–2)।

iv. संयोजन तिथि से वर्तमान तक के मूल बकाये का मासिक औसत, उपभोक्ता की श्रेणी व भार के अनुसार निर्धारित धनराशि (तालिका–2) से कम होने पर उपभोक्ता को Under Bill Outliers कहा जायेगा।

v. Under Bill Outliers उपभोक्ताओं के लिये नॉरमेटिव खपत के (प्रतिशत) आधार पर आगणित मासिक विद्युत बिल धनराशि (Rounded Off) निम्न तालिका (तालिका–2) के अनुसार है –

तालिका–2

क्र0सं0	उपभोक्ता की श्रेणी व भार	ग्रामीण/शहरी	मासिक औसत धनराशि (Under Bill Outlier) (रू0 में) (ग्रामीण क्षेत्र के लिये नॉरमेटिव खपत का 10% एवं शहरी क्षेत्र के लिये 20% के आधार पर)
1	2	3	4
1	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	100
2		शहरी	150
3	एल0एम0वी0–1 (घरेलू) – 02 किलोवाट	ग्रामीण	300
4		शहरी	600
5	एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) – 01 किलोवाट	ग्रामीण	200
6		शहरी	600

Under Bill Outlier उपभोक्ताओं के बिल संशोधन की प्रक्रिया–

vi. Under Bill Outliers उपभोक्ताओं के विद्युत बिल अत्याधिक कम धनराशि के है। Under Bill Outliers

उपभोक्ताओं का स्थलीय निरीक्षण करके बिल संशोधन कराना आवश्यक है। अतः सभी (नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड एवं Current) Under Bill Outliers उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन स्थलीय निरीक्षण के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। संशोधन के पश्चात् भी इन उपभोक्ताओं को इस योजना में पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

vii. **Under Bill Outliers उपभोक्ताओं का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं कराया जायेगा।**

viii. Under Bill Outlier उपभोक्ताओं के बिल संशोधन हेतु डिस्कॉम मुख्यालय पर निदेशक (वाणिज्य) डिस्काम के अधीन एक अस्थाई विशेष सेल गठित की जायेगी। स्थलीय जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेष सेल द्वारा सभी Under Bill Outliers के बिल एक माह के अन्दर बिल संशोधित किये जायेंगे। निदेशक (वाणिज्य) डिस्काम के द्वारा उक्त का अनुश्रवण किया जायेगा एवं बिल संशोधन की दैनिक प्रगति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

उदाहरण 1 :– माना कि **ग्रामीण क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 01 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2024 है एवं वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक का मूल बकाया रू0 1,650 है। संयोजन की तिथि से वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक कुल 22 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 75 (=1,650 / 22) प्राप्त होगा, जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 100 प्रति माह) से कम है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Under Bill Outliers उपभोक्ता है।

उदाहरण 2 :– माना कि **शहरी क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 01 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2024 है एवं वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक का मूल बकाया रू0 2,750 है। संयोजन की तिथि से वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक कुल 22 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 125 (=2,750 / 22) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 150 प्रति माह) से कम है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Under Bill Outliers उपभोक्ता है।

उदाहरण 3 :– माना कि **ग्रामीण क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 02 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2023 है एवं वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक का मूल बकाया रू0 8,500 है। संयोजन की तिथि से वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक कुल 34 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 250 (=8,500 / 34) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 300 प्रति माह) से कम है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Under Bill Outliers उपभोक्ता है।

उदाहरण 4 :– माना कि **ग्रामीण क्षेत्र में एल0एम0वी0–1 श्रेणी व 02 किलोवाट** भार वाले एक उपभोक्ता की संयोजन तिथि 01.02.2023 है एवं वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक का मूल बकाया रू0 11,900 है। संयोजन की तिथि से वर्तमान तिथि 01.12.2025 तक कुल 34 माह होते हैं। इस उपभोक्ता के मूल बकाया का मासिक औसत रू0 350 (=11,900 / 34) प्राप्त होगा जोकि इस श्रेणी के उपभोक्ता के लिये निर्धारित मासिक औसत धनराशि (रू0 300 प्रति माह) से अधिक है। इस प्रकार यह उपभोक्ता Under Bill Outliers उपभोक्ता **नहीं** है।

(घ) पंजीकरण तिथि तक अथवा दिनांक 31.03.2025 तक के मूल बकाये में से जो भी कम हो, पर उपभोक्ता की पात्रता के अनुसार विद्युत बिल में अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

(ङ) पंजीकृत उपभोक्ता के आगामी मासिक विद्युत बिलों में किश्तों में भुगतान के चयन के विकल्प पर पूर्ण भुगतान होने

तक की अवधि का विलम्बित भुगतान अधिभार नहीं लिया जायेगा, अर्थात् उपभोक्ता को छूट के साथ–साथ किश्तों की भुगतान की अवधि के लिये लगने वाले सरचार्ज की बचत होगी।

उदाहरण 1 :– माना कि उपभोक्ता का पंजीकरण तिथि तक का कुल बकाया रू0 14,000 (दिनांक 31.03.2025 तक मूल बकाया रू0 10,000 + दिनांक 31.03.2025 के पश्चात मूल बकाया रू0 2,000 + विलम्बित भुगतान अधिभार रू0 2,000) है।

यदि उपभोक्ता **रू0 750 की मासिक किश्त के विकल्प में पंजीकरण** कराता है तो उपभोक्ता को रू0 1,000 (मूल बकाया का 10%) की अतिरिक्त छूट एवं विलम्बित भुगतान अधिभार में रू0 2,000 की छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को रू0 11,000 (14,000 – 1,000 – 2,000) का भुगतान करना होगा।

रू0 750 की मासिक किश्त के साथ उपभोक्ता को रू0 11,000 का पूर्ण भुगतान करने में 15 माह लगेंगे। इन 15 माहों के लिये 02% प्रतिमाह की दर से बकाया धनराशि पर कुल रू0 3,300 का विलम्बित भुगतान अधिभार देना होता, जोकि योजना के अन्तर्गत माफ किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा किश्तों में कुल जमा किये गये रू0 11,000 की नेट प्रेज़न्ट वेल्यू* रू0 10,313 होगी, अर्थात् उपभोक्ता को रू0 687 का अतिरिक्त लाभ होगा।

इस प्रकार उपभोक्ता को कुल रू0 6,987 (1,000 + 2,000 + 3,300 + 687) का लाभ होगा।

उदाहरण 2 :– माना कि उपभोक्ता का पंजीकरण तिथि तक का कुल बकाया रू0 14,000 (दिनांक 31.03.2025 तक मूल बकाया रू0 10,000 + दिनांक 31.03.2025 के पश्चात मूल बकाया रू0 2,000 + विलम्बित भुगतान अधिभार रू0 2,000) है।

यदि उपभोक्ता **रू0 500 की मासिक किश्त के विकल्प में पंजीकरण** कराता है तो उपभोक्ता को रू0 500 (मूल बकाया का 5%) की अतिरिक्त छूट एवं विलम्बित भुगतान अधिभार में रू0 2,000 की छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को रू0 11,500 (14,000 – 500 – 2,000) का भुगतान करना होगा।

रू0 500 की मासिक किश्त के साथ उपभोक्ता को रू0 11,500 का पूर्ण भुगतान करने में 23 माह लगेंगे। इन 23 माहों के लिये 02% प्रतिमाह की दर से बकाया धनराशि पर कुल रू0 5,290 का विलम्बित भुगतान अधिभार देना होता, जोकि योजना के अन्तर्गत माफ किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा किश्तों में कुल जमा किये गये रू0 11,500 की नेट प्रेज़न्ट वेल्यू* रू0 10,426 होगी, अर्थात् उपभोक्ता को रू0 1,074 का अतिरिक्त लाभ होगा।

इस प्रकार उपभोक्ता को कुल रू0 8,864 (500 + 2,000 + 5,290 + 1,074) का लाभ होगा।

उदाहरण 3 :– माना कि उपभोक्ता का पंजीकरण तिथि तक का कुल बकाया रू0 31,000 (दिनांक 31.03.2025 तक मूल बकाया रू0 20,000 + दिनांक 31.03.2025 के पश्चात मूल बकाया रू0 4,000 + विलम्बित भुगतान अधिभार रू0 7,000) है।

यदि उपभोक्ता **रू0 750 की मासिक किश्त के विकल्प में पंजीकरण** कराता है तो उपभोक्ता को रू0 2,000 (मूल बकाया का 10%) की अतिरिक्त छूट एवं विलम्बित भुगतान अधिभार में रू0 7,000 की छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को रू0 22,000 (31,000 – 2,000 – 7,000) का भुगतान करना होगा।

रू0 750 की मासिक किश्त के साथ उपभोक्ता को रू0 22,000 का पूर्ण भुगतान करने में 30 माह लगेंगे। इन 30 माहों के लिये 02% प्रतिमाह की दर से बकाया धनराशि पर कुल रू0 13,200 का विलम्बित भुगतान अधिभार देना होता, जोकि योजना के अन्तर्गत माफ किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा किश्तों में कुल जमा किये गये रू0 22,000 की नेट प्रेज़न्ट वेल्यू* रू0 19,446 होगी, अर्थात् उपभोक्ता को रू0 2,554 का अतिरिक्त लाभ होगा।

इस प्रकार उपभोक्ता को कुल रू0 5,625 (2,000 + 7,000 + 13,200 + 2,554) का लाभ होगा।

उदाहरण 4 :– माना कि उपभोक्ता का पंजीकरण तिथि तक का कुल बकाया रू0 31,000 (दिनांक 31.03.2025 तक मूल बकाया रू0 20,000 + दिनांक 31.03.2025 के पश्चात मूल बकाया रू0 4,000 + विलम्बित भुगतान अधिभार रू0 7,000) है।

यदि उपभोक्ता **रू0 500 की मासिक किश्त के विकल्प में पंजीकरण** कराता है तो उपभोक्ता को रू0 1,000 (मूल बकाया का 5%) की अतिरिक्त छूट एवं विलम्बित भुगतान अधिभार में रू0 7,000 की छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को रू0 23,000 (31,000 – 1,000 – 7,000) का भुगतान करना होगा।

रू0 500 की मासिक किश्त के साथ उपभोक्ता को रू0 23,000 का पूर्ण भुगतान करने में 46 माह लगेंगे। इन 46 माहों के लिये 02% प्रतिमाह की दर से बकाया धनराशि पर कुल रू0 21,160 का विलम्बित भुगतान अधिभार देना होता, जोकि योजना के अन्तर्गत माफ किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा किश्तों में कुल जमा किये गये रू0 23,000 की नेट प्रेज़न्ट वेल्यू* रू0 19,040 होगी, अर्थात् उपभोक्ता को रू0 3,960 का अतिरिक्त लाभ होगा।

इस प्रकार उपभोक्ता को कुल रू0 33,120 (1,000 + 7,000 + 21,160 + 3,960) का लाभ होगा।

उदाहरण 5 :– माना कि उपभोक्ता का पंजीकरण तिथि तक का कुल बकाया रू0 60,000 (दिनांक 31.03.2025 तक मूल बकाया रू0 40,000 + दिनांक 31.03.2025 के पश्चात मूल बकाया रू0 10,000 + विलम्बित भुगतान अधिभार रू0 10,000) है।

यदि उपभोक्ता **रू0 750 की मासिक किश्त के विकल्प में पंजीकरण** कराता है तो उपभोक्ता को रू0 4,000 (मूल बकाया का 10%) की अतिरिक्त छूट एवं विलम्बित भुगतान अधिभार में रू0 10,000 की छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को रू0 46,000 (60,000 – 4,000 – 10,000) का भुगतान करना होगा।

रू0 750 की मासिक किश्त के साथ उपभोक्ता को रू0 46,000 का पूर्ण भुगतान करने में 62 माह लगेंगे। इन 62 माहों के लिये 02% प्रतिमाह की दर से बकाया धनराशि पर कुल रू0 57,040 का विलम्बित भुगतान अधिभार देना होता, जोकि योजना के अन्तर्गत माफ किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा किश्तों में कुल जमा किये गये रू0 46,000 की नेट प्रेज़न्ट वेल्यू* रू0 35,900 होगी, अर्थात् उपभोक्ता को रू0 10,100 का अतिरिक्त लाभ होगा।

इस प्रकार उपभोक्ता को कुल रू0 81,140 (4,000 + 10,000 + 57,040 + 10,100) का लाभ होगा।

नोट– *नेट प्रेज़न्ट वेल्यू का आगणन 10 प्रतिशत वार्षिक दर से किया गया है।

(च) पंजीकृत उपभोक्ता के मासिक विद्युत बिलों, विद्युत बिल भुगतान एवं पंजीकरण रसीद में योजना के अंतर्गत समस्त छूट की धनराशि व मासिक किश्तों/शेष बकाया धनराशि का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।

(छ) इसी प्रकार पंजीकृत उपभोक्ता की जानकारी के लिए विद्युत बिल भुगतान एवं पंजीकरण रसीद पर सभी छूट की धनराशि व मासिक किश्तों/शेष बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए अंतिम तिथियों का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे पंजीकृत उपभोक्ता शेष बकाया धनराशि का अतिशीघ्र भुगतान करने हेतु प्रेरित हो सके।

(ज) किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल व मासिक किश्त से अधिक धनराशि का एडवांस भुगतान किया जा सकेगा। एडवांस भुगतान करने पर भी उपभोक्ता को अगले महीने के विद्युत बिल व मासिक किश्त का भुगतान नियत तिथि तक करना होगा अन्यथा किश्त डिफाल्ट हो जायेगी। पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा किये गये एडवांस भुगतान को अंतिम किश्तों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

(झ) इस योजना के अर्न्तगत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण वाले उपभोक्ता भी पंजीकरण करा सकेंगे।

ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि योजना का लाभ लेने के पश्चात व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

6. योजना में कलेक्शन एजेन्सी के लिए प्रोत्साहन धनराशि–

(क) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं से कलेक्शन एजेन्सी द्वारा बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान प्राप्त करने पर ही प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

(ख) विद्युत चोरी के प्रकरणों में कलेक्शन एजेन्सी द्वारा "राजस्व निर्धारण धनराशि" का भुगतान कराने पर कोई प्रोत्साहन धनराशि नही दी जायेगी।

(ग) प्रोत्साहन धनराशि कलेक्शन एजेन्सी को दिये जा रहे नियमित कमीशन धनराशि के अतिरिक्त होगी।

(घ) कलेक्शन एजेन्सी का अभिप्राय जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) से है।

(ङ) **कलेक्शन एजेन्सी को अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि :–**

अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि (उपभोक्ता से प्राप्त किये गये भुगतान का प्रतिशत) निम्नवत होगी–

क्र0सं0	भुगतान का प्रकार	अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि
1	2	3
1	पंजीकरण करने पर	रू0 100 प्रति पंजीकरण
2	एकमुश्त पूर्ण भुगतान प्राप्त करने पर	पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर पंजीकरण के बाद प्राप्त धनराशि का 5 % (पांच प्रतिशत)
3	किश्तों में भुगतान प्राप्त करने पर	शून्य

II. विद्युत चोरी के प्रकरणों में "राजस्व निर्धारण धनराशि" में छूट

1. वर्ष 2023–24 में विद्युत चोरी के प्रकरणों में "राजस्व निर्धारण धनराशि" में छूट की योजना लागू की गयी थी परन्तु योजना की जानकारी अधिकतर व्यक्तियों को नहीं होने का फीडबैक विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुआ है एवं उनके द्वारा "राजस्व निर्धारण धनराशि" में छूट की योजना पुनः लागू करने की मांग निरन्तर की जा रही है। उपरोक्त के दृष्टिगत "राजस्व निर्धारण धनराशि" की धनराशि पर छूट प्राप्त करने हेतु योजना आखिरी बार लायी जा रही है।
2. यह योजना चोरी के समस्त भार व श्रेणी के प्रकरणों पर लागू होगी।
3. विद्युत चोरी के प्रकरण में ऐसे उपभोक्ता जिनके विरूद्ध आर0सी0 निर्गत हो, या न्यायालय में वाद लम्बित हों, भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
4. विद्युत चोरी के प्रकरण में ऐसे उपभोक्ता जिनका संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित हो, भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
5. योजना की अवधि अथवा इससे पूर्व में Final Assessment Order निर्गत होने पर ही "राजस्व निर्धारण धनराशि" में छूट का लाभ प्राप्त होगा।
6. योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को "राजस्व निर्धारण धनराशि" में छूट प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा।
7. पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को –
   i. रू0 2,000 अथवा "राजस्व निर्धारण धनराशि" का 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।
   ii. विद्युत चोरी वाले परिसर के विद्युत संयोजन की एकाउन्ट आई0डी0 बतानी होगी।
   iii. यदि विद्युत चोरी वाले परिसर पर विद्युत संयोजन नहीं है तो नये विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा आवेदन की रसीद उपलब्ध करानी होगी।
   iv. यदि विद्युत चोरी वाले परिसर पर विद्युत संयोजन है तो बकाये का पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके

लिये व्यक्ति पात्रता के अनुसार पंजीकरण कराकर इस योजना के अन्तर्गत विद्युत बिल में छूट का लाभ भी ले सकेगा।

8. पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कुल देय धनराशि का विवरण निम्न तालिका के अनुसार है–

प्रथम चरण (दिनांक 01.12.2025 से 31.12.2025 तक) में पंजीकरण कराने पर	**द्वितीय चरण (दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक) में पंजीकरण कराने पर**	**तृतीय चरण (दिनांक 01.02.2026 से 28.02.2026 तक) में पंजीकरण कराने पर**
1	2	3
राजस्व निर्धारण धनराशि का 50 % (पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) + Compounding Amount (शमन शुल्क)	राजस्व निर्धारण धनराशि का 55 % (पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) + Compounding Amount (शमन शुल्क)	राजस्व निर्धारण धनराशि का 60 % (पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) + Compounding Amount (शमन शुल्क)

9. छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

i. पंजीकरण www.uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय मे जाकर कराया जा सकता है। चेकिंग संख्या/उपभोक्ता अकाउन्ट आई0डी0 अंकित करने पर छूट सम्बन्धी सभी सूचना ऑनलाईन प्रदर्शित होगी।

ii. पंजीकरण धनराशि, शेष राजस्व निर्धारण धनराशि व Compounding Amount (शमन शुल्क) का भुगतान विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर किया जा सकता है। जिसको खण्ड/उपखण्ड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जायेगा।

iii. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का पंजीकरण कराकर समाधान कराया जा सकेगा। इसके लिए व्यक्ति को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

iv. किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्काम कार्यालय में पहले निपटाए गये मामलों को योजना में शामिल करने के लिए दुबारा नहीं खोला जाएगा।

v. यह एक बार की योजना है, योजना बंद होने के बाद बिजली चोरी के मामलों में नियमानुसार विधिक कार्यवाही होगी।

III. विभागीय कार्मिकों को प्रोत्साहन धनराशि

योजना की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त प्रगति के आधार पर डिस्काम की समीक्षा की जायेगी। समस्त डिस्काम में निर्धारित मानक से ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियन्ताओं, 20 उपखण्ड अधिकारियों एवं 30 अवर अभियन्ताओं को प्रशस्ति–पत्र के साथ प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त अच्छा कार्य करने वाले अन्य श्रेणी के कार्मिकों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

12/11/25

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक